BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 18 अक्टूबर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर एक व्यक्ति को चालाकी से घर से ले जाकर गायब कर देने के 02 आरोपियों को 03-03 वर्ष का कारावास व 25,000-25,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1- पेलू उर्फ रेजपाल निवासी ग्राम खनौदा थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर 2- नीरज पुत्र कूडे सिंह निवासी ग्राम राजगढी थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2007 में थाना औरंगाबाद क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति रनवीर को चालाकी से घर से ले जाकर गायब कर देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 02.08.2007 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं– 245/2007 धारा 420,428 भादवि पजीकृत किया गया जिसमे दिनांक 20.07.2008 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 18.10.2024 को न्यायाधीश श्री चन्द विजय श्रीनेत (मा0 न्यायालय एडीजे-08 स्पेशल गैंगस्टर एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त पेलू उर्फ रेजपाल व नीरज को 03-03 वर्ष का कारावास व 25,000-25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री योगेश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर